संख्या- 4/2016/वे0आ0-2-02(रिट)/दस-2016

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 15 जनवरी, 2016

विषय- वेतन समिति (1997-99)/वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लेखा लिपिक तथा कनिष्ठ लेखा लिपिक के सम्बन्ध में लिये गए निर्णयों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर विचार किये जाने हेतु गठित मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों पर विभिन्न राजकीय विभागों के कनिष्ठ लेखा लिपिक संवर्ग को मृत घोषित करते हुए कनिष्ठ लेखा लिपिक के ऐसे पदधारक जिन्हें समयमान वेतनमान की वर्तमान व्यवस्था के अधीन लेखा लिपिक का वेतनमान रू0 4000-6000 अनुमन्य किया जा चुका है, उतनी संख्या में सहायक लेखाकार के पद सृजित कर तैनाती/पदोन्नति किये जाने विषयक निर्णय लेकर उक्त निर्णय से सचिव, वित्त श्री आन्नद मिश्र के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-वे0आ0-2-1806/दस-2001-44/2001, दिनांक 24 सितम्बर, 2011 (संलग्नक-1) के द्वारा अवगत कराया गया था। इसके पश्चात वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गए निर्णय जिसे शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1853/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 (संलग्नक-2) द्वारा संसूचित है में मृत संवर्ग घोषित कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद पर 07 वर्ष की सेवा वाले पदधारकों को सहायक लेखाकार पदनामित करते हुए। एतत सम्बन्धी शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से जारी कराने का अनुरोध किया गया है। शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त नीतिगत निर्णय के बावजूद कई विभाग अभी भी ऐसे हैं, जहाँ कनिष्ठ लेखा लिपिक तैनात है और सम्बन्धित विभागों द्वारा ऐसे कनिष्ठ लेखा लिपिकों को सहायक लेखाकार पदनामित करने के सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति से आवश्यक शासनादेश निर्गत नहीं कराया गया है। इससे प्रभावित कुछ कर्मियों द्वारा मा0 न्यायालय में रिट याचिकायें भी दाखिल की जा रही है, जिससे शासन के समक्ष अनावश्यक रूप से कठिनाई आ रही है।

2- अतः आप से यह अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्णयों के क्रम में आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से तत्काल निर्गत कराने का कष्ट करें, जिससे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सम्बन्धित कार्मिकों को शासन के नीतिगत निर्णयों का लाभ मिल सके।

संलग्नक :--- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या- 4/2016/वे0आ0-2-02(रिट)(1)/दस-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :---

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(2) निदेशक, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश को उनके अनुरोध दिनांक 04 जनवरी, 2016 के क्रम में सूचनार्थ।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गोपनीय

आनन्द मिश्र
सचिव, वित्त

अर्द्धशा0प0सं0–वे0आ0–2–1806/दस–2001–44/2001
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

लखनऊ : दिनाक : 24 सितम्बर, 2001

प्रिय महोदय,

प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों हेतु गठित वेतन समिति (1997–99) द्वारा 14वें प्रतिवेदन तथा 16वें प्रतिवेदन खण्ड–1 व 2 के माध्यम से सम्बन्धित संवर्गो/विभागों के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर विचार किये जाने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी थी। मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर आपके अधीनस्थ, यथा स्थिति, निम्नलिखित सामान्य संवर्गो के विषय में शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुलग्नक–1 पर संलग्न है :–

(1) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, (2) डिप्लोमा इंजीनियर्स (अवर अभियन्ता), (3) वाहन चालक, (4) टेलीफोन कर्मचारी, (5) अनुरेखक (ट्रेसर) तथा मानचित्रकार (ड्राफ्ट्समैन), (6) कलाकार, (7) लेखा कर्मचारी, (8) लेखा परीक्षा कर्मचारी।

2. उपर्युक्त निर्णय के कम में यदि कहीं वेतनमानों में संशोधन/वेतन निर्धारण की स्थिति आती है तो अनुलग्नक–2 पर उल्लिखित प्रकिया के अनुसार वेतनमानों में संशोधन/वेतन निर्धारण किया जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गयी है कि इन निर्णयों के तहत नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही शीघ्रता से करने का कष्ट करें। यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में, यथा स्थिति, यदि कोई आदेश निर्गत किये जाने हों तो आदेश निर्गत करने के पूर्व वित्त (वेतन आयोग) की लिखित सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(आनन्द मिश्र)

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

		उचित रहेगा।
13.3(5)	राज्य मे कम्प्यूटर व्यवस्था का अधिक उपयोग हो रहा है। कम्प्यूटर से ग्राफिक चार्ट आदि आसानी से निकाले जा सकते हैं। शासन के विभिन्न विभागों में आर्टिस्ट के पद उस समय सृजित किये गये थे जब कम्प्यूटर की समुचित सुविधा उपलब्ध नही थी। बदलते परिवेश में सरकार इस पर विचार करे कि क्या इन पदों की अब आवश्यकता हैं इस पर भी विचार किया जाय कि वर्तमान पदधारकों को कम्प्यूटर में प्रशिक्षण देकर उनकी अर्हता के समरूप सम्बन्धित संवर्ग मे उनका संविलियन किया जा सकता हैं या नही।	वेतन समिति की इस संस्तुति पर समिति द्वारा विचार किया गया इस सम्बन्ध मे समिति का मत है कि वर्तमान पदधारकों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण देकर उन्हें वर्तमान परिवेश के अनुरूप बनाया जाय।

7. लेखा कर्मचारी

लेखा कर्मचारियों के विषय में वेतन समिति (1997–99) के 16वें प्रतिवेदन खण्ड–2 के प्रस्तर–6 में की गयी संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त समिति की संस्तुतियां निम्न प्रकार हैं :–

संस्तुति संख्या	वेतन समिति की संस्तुतियां	मुख्य सचिव समिति का अभिमत
6.11(1)	कनिष्ठ लेखा लिपिक (वेतनमान रू0 3050–4590) के पदों को मृत संवर्ग घोषित कर दिया जाय।	वेतन समिति की इस संस्तुति से यह समिति सहमत है।
	वर्तमान में कार्यरत ऐसे कनिष्ठ लेखा लिपिकों को जिन्होंने 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, संवर्ग में उतनी संख्या में सहायक लेखाकार के पद सृजित कर तैनाती/प्रोन्नति की जाय। यह व्यवस्था कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद पर कार्यरत सभी पदधारकों के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार लागू रखी जाय।	वेतन समिति की इस संस्तुति के सम्बन्ध में समिति का यह अभिमत है कि केवल ऐसे कनिष्ठ लेखा लिपिको के पदों को सहायक लेखाकार का पदनाम देने की व्यवस्था करना उचित होगा जिन्हें संगयमान वेतनमान की वर्तमान व्यवस्था के अधीन लेखा लिपिक का

		वेतनमान (रु0 4000–6000) प्राप्त हो चुका है।
6.11(2)	लेखा लिपिक (वेतनमान रू0 4000–6000) के सभी पदो को सहायक लेखाकार (वेतनमान रू0 4000–6000) के पदो मे संविलीन कर "सहायक लेखाकार" पदनाम से वेतनमान रू0 4000–6000 मे रखा जाय। भविष्य में "लेखा लिपिक" पदनाम से कोई नियुक्ति/पदोन्नति न की जाय।	वेतन समिति की इस संस्तुति से यह समिति सहमत है।
	सहायक लेखाकार के पदों को स्नातक (कामर्स) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी अर्हता धारियो से, जिन्हें कम्प्यूटर संचालन का पर्याप्त ज्ञान हो, सीधी भर्ती द्वारा ही भरा जाय।	वेतन समिति की सहायक लेखाकार के पदो पर अर्हता निर्धारित करने सम्बन्धी संस्तुति से यह समिति सहमत है। इस सम्बन्ध में "कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान" सम्बन्धी वेतन समिति की संस्तुति के स्थान पर कम्प्यूटर संचालन में "ओ" लेवल का सर्टिफिकेट निर्धारित करना उचित रहेगा।
	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक लेखकार को इस रूप में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने तथा विभागीय परीक्षा पास करने पर इस प्रतिबन्ध के साथ लेखाकार पदनाम व रू0 5000–8000 का वेतनमान अनुमन्य किया जाय कि किसी भी समय लेखाकार के पदधारकों की संख्या सहायक लेखाकार तथा लेखाकार के पदों की सम्मिलित संख्या से 80 प्रतिशत से अधिक न हो सके। वर्तमान में ऐसे पदधारक जिन्हें कम्प्यूटर संचालन का सामान्य ज्ञान नही है उन्हे समयबद्ध रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाय।	वेतन समिति की इन संस्तुतियों से यह समिति सहमत है।
6.11(3)	समिति के संज्ञान में यह बात लायी गयी है कि	इस विषय में यह भी प्रयास

	अभियंत्रण विभागों में खण्डीय स्तर पर जहां महालेखाकार कार्यालय के लेखाकार तैनात है, वहां महालेखाकार को प्रेषित किये जाने वाले सम्प्रेषण लेखा तथा उससे सम्बन्धित लेखा सम्बन्धी अन्य सूचनाओं को छोड़कर शासन/मुख्यालय स्तर पर जो लेखे/सूचनायें वांछित होती है, उन्हें बनाने में महालेखाकार कार्यालय के लेखाकारों का वांछित सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है क्योंकि इनका प्रशासनिक नियंत्रण सीधे महालेखाकार के अधीन है। खण्ड स्तर पर इन पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं होता है। अतः समिति का मत है कि ऐसे विभागों को जहां महालेखाकार कार्यालय के खण्डीय लेखाकार नियुक्त हैं, उन्हें कार्य/वर्क्स एकाउन्ट के कार्य के साथ विभागाध्यक्ष/शासन को भेजे जाने वाली लेखा सम्बन्धी रिपोर्ट यथा बी0एम0-8 आदि तथा कार्यालय स्तर के अन्य लेखा सम्बन्धी कार्य का दायित्व भी सौंपा जाय। तदनुसार महालेखाकार द्वारा उनके दायित्व पुनर्निर्धारण किये जाने हेतु आदेश निर्गत कराने की कार्यवाही शासन स्तर से की जाय। वित्तीय प्रबन्ध के परिवर्तित परिवेश को देखते हुए आवश्यक है कि सम्बन्धित विभाग एक सुगठित, प्रशिक्षित और योग्य लेखा संवर्ग गठित करें तथा महालेखाकार कार्यालय के खण्डीय लेखाकारों को उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया जाय/मृत संवर्ग घोषित कर दिया जाय।	किया जाय कि खण्डीय लेखाकारों के संवर्ग का या तो अन्तिम रूप से राज्य सरकार के अधीन कर दिया जाय अन्यथा इन्हे मूल विभाग में वापस भेज दिया जाय।
6.11(4)	लेखा संवर्ग के लेखाकारों को सहायक लेखाधिकारी सेवा नियमावली के अधीन सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति किये जाने का प्राविधान है। वर्तमान में बहुत से विभागों में कार्यालयाध्यक्ष को सहायक लेखाकार का नियुक्ति प्राधिकारी नामित होने के कारण उनकी राज्य स्तरीय ज्येष्ठता के निर्धारण में व्यवहारिक कठिनाईयां	वेतन समिति की संस्तुतियों से यह समिति सहमत है।

	आती है और अनावश्यक वादों का सृजन हो जाता है। इस परिप्रेक्ष्य मे समिति का मत है कि लेखा संगठन के कर्मचारियों के कुशल संवर्गीय प्रबन्धन हेतु इनका नियुक्ति प्राधिकारी सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को नामित किया जाय और लेखा कर्मचारियों की विभागवार राज्य स्तरीय ज्येष्ठता निर्धारित की जाय। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार लेखा कर्मचारियों की तैनाती कार्यालय स्तर पर की जाय।	
6.11(5)	लेखा परीक्षा संवर्ग में लेखा परीक्षकों (वेतनमान रू0 4000--6000) को वरिष्ठ लेखा परीक्षक (वेतनमान रू0 5000--8000) का पद पाने हेतु विभागीय परीक्षा प्रथम एवं वरिष्ठ लेखा परीक्षक श्रेणी--1 (वेतनमान रू0 5500--9000) पर पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा द्वितीय उत्तीर्ण करना आवश्यक है। सहायक कोषाधिकारी सेवा में सहायक लेखाधिकारी (वेतनमान रू0 6500--10500) के 50 प्रतिशत पदों को ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर अन्य विभागों के लेखाकारों तथा वरिष्ठ लेखा परीक्षकों (वेतनमान रू0 5000--8000) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा एवं सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा संवर्ग को छोड़कर से पदोन्नति कर भरा जाता है जबकि लेखा परीक्षा संवर्ग में वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड--1 (वरिष्ठ वेतनमान) (वेतनमान रू0 6500--10500) के पदों को वेतनमान रू0 5500--9000 के वेतनमान के पदधारको से भरा जाता है। समिति के विचार से लेखा संवर्ग एवं लेखा परीक्षा संवर्ग के कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि के अवसरों में समानता होनी चाहिए। अतः लेखाकारों तथा उपर्युक्त दो लेखा परीक्षा विभागों के अतिरिक्त अन्य विभागों में कार्यरत वरिष्ठ लेखा परीक्षकों (वेतनमान रू0 5000--8000) की कार्य कुशलता एवं दक्षता में वृद्धि हेतु उन्हें समान रूप से द्वितीय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने	वेतन समिति की लेखाकार संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों से यह समिति सहमत है। विभिन्न विभागों में आन्तरिक सम्प्रेक्षा का कार्य कर रहे लेखा परीक्षकों / वरिष्ठ लेखा परीक्षकों का एकीकृत संवर्ग वित्त विभाग के अधीन गठित करना अधिक उपयुक्त रहेगा। जहां तक आन्तरिक सम्प्रेक्षा इकाईयों में कार्यरत वरिष्ठ लेखा परीक्षकों तथा विभागों में कार्यरत लेखाकारों के कुछ प्रतिशत पदों को उच्चीकृत कर उन्हें क्रमशः वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड--1 तथा वरिष्ठ लेखाकार का पदनाम देते हुए रू0 5500--9000 का वेतनमान देने विषयक संस्तुति का प्रश्न है इस विषय में समिति की यह राय है कि वरिष्ठ लेखा परीक्षकों तथा लेखाकारों के 15 प्रतिशत पदों

	हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से उपर्युक्त अन्य विभागों के वरिष्ठ लेखा परीक्षकों तथा लेखाकारों के कुल प्रतिशत पदों को उच्चीकृत कर वरिष्ठ लेखाकार तथा वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड–1 का पदनाम एवं रू0 5500–9000 का वेतनमान अनुमन्य किये जाने पर शासन विचार करे। इस प्रकार सहायक लेखाधिकारी के 50 प्रतिशत पदों को पदोन्नति से भरे जाने हेतु पोषक संवर्ग वरिष्ठ लेखाकार/वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड–1 का बनाया जाना उपयुक्त होगा। नियमावली में उपरोक्तानुसार संशोधन से लेखा एवं लेखा परीक्षा संवर्ग में एकरूपता आयेगी तथा दोनो संवर्गों के कर्मचारियों की कार्यकुशलता एवं दायित्व बोध मे वृद्धि होगी।	पर उपर्युक्त पदनाम एवं वेतनमान दिया जाय।
6.11(6)	विभागीय परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय हेतु पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्रों की संख्या एवं उनका स्तर इस प्रकार निर्धारित किया जाय जिससे कि विषय ज्ञान के साथ साथ उनके व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण तथा वित्तीय प्रबन्ध हेतु शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की अद्यावधिक जानकारी का परीक्षण सम्भव हो सके।	वेतन समिति की संस्तुतियों से यह समिति सहमत है। प्रथम एवं द्वितीय विभागीय परीक्षाओं के संचालन एवं उसके पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान को नोडल एजेन्सी बनाया जाना उचित होगा।

8. लेखा परीक्षा कर्मचारी

लेखा परीक्षा कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतन समिति (1997–99) के 16वें प्रतिवेदन के खण्ड–2 के प्रस्तर–7 में की गयी संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त समिति की संस्तुतियां निम्न प्रकार हैं :–

संस्तुति संख्या	वेतन समिति की संस्तुतियां	मुख्य सचिव समिति का अभिमत
7.6(1)	लेखा परीक्षक के पद पर भर्ती की वर्तमान व्यवस्था– सीधी भर्ती व पदोन्नति– को तथा दिनांक 1.1.1996 से लेखा परीक्षक के पद पर अनुमन्य वेतनमान रू0 4000–6000 को भी यथावत रखा जाय। सीधी भर्ती के लेखा परीक्षकों हेतु पूर्व	वेतन समिति की संस्तुतियों से यह समिति सहमत है। कम्प्यूटर पर कार्य करने के सामान्य ज्ञान के स्थान पर

संख्या–वे0आ0–2–1853/दस–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 10 अक्टूबर, 2011

विषयः–वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–4) में राजकीय विभागों के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति द्वारा दसवें प्रतिवेदन (भाग–4) में राजकीय विभागों के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के सम्बन्ध दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :–

(1) सहायक लेखाकार के पद पर वर्तमान में निर्धारित वेतनमान रू0 4500–7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/–) यथावत बनाये रखा जाय। उक्त पद पर वर्तमान में निर्धारित अर्हता, स्नातक (कामर्स) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी सहित कम्प्यूटर में ''ओ'' लेवल का डिप्लोमा, के साथ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की व्यवस्था की जाय।

(2) लेखाकार के पदों पर आने के लिए प्रथम विभागीय परीक्षा पास करने सम्बन्धी शर्त को समाप्त कर दिया जाय। अन्य व्यवस्था यथावत् बनाये रखी जाय।

(3) सहायक लेखाधिकारी के 107 पद वित्त एवं लेखा सेवा केवेतनमान रू0 8000–13500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–) के पदों में उच्चीकृत कर दिये जायें।

(4) अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग में वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड–1 तथा अधीनस्थ लेखा संवर्ग में वरिष्ठ लेखाकार का स्तर समाप्त कर दिया जाय। उक्त स्तर के वर्तमान में उपलब्ध पदों में से 240 पदों को बनाये रखते हुए सहायक लेखाधिकारी संवर्ग में समायोजित कर दिये जायें। उक्त के फलस्वरूप

उपलब्ध होने वाले सहायक लेखाधिकारी के 370 पदों का विभागवार चिन्हांकन निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

(5) सहायक लेखाधिकारी के पद पर विभिन्न विभागों के लेखाकार एवं वरिष्ठ लेखा परीक्षकों में से उनके पदों की संख्या के अनुपात में निर्धारित कोटे के आधार पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाय।

(6) सहायक लेखाकार तथा लेखाकार के कुल पदों को 01 एवं 03 के अनुपात में विभाजित करते हुए कमशः सहायक लेखाकार तथा लेखाकार के पदों की संख्या चिन्हित की जाय।

(7) सहायक लेखाधिकारी के पदों पर अनुमन्य वेतनमान रू0 7450–11500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–) के स्थान पर संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान रू0 7500–12000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/–) दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुये वास्तविक लाभ तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(8) अधीनस्थ लेखा संवर्ग के ढ़ाँचे में सहायक लेखाकार, लेखाकार तथा सहायक लेखाधिकारी के पदों को रखते हुए त्रिस्तरीय ढ़ाँचा निर्धारित किया जाय।

(9) विभिन्न विभागों के अधीनस्थ लेखा संवर्ग का ढ़ाँचा (पदनाम, वेतनमान तथा अर्हता/भर्ती की प्रकिया) निम्नानुसार रखा जाय :—

क0 सं0	पदनाम/पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	अर्हता/भर्ती की प्रकिया
(1)	(2)	(3)
1	सहायक लेखाकार'/ वेतन बैण्ड–1 (रू0 5200–20200) एवं रू0 2800/–	लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती–स्नातक (कामर्स) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी सहित कम्प्यूटर में "ओ" लेवल का डिप्लोमा की अर्हता धारियों से।
2	लेखाकार'/	03 वर्ष की सेवा वाले सहायक लेखाकार के

	वेतन बैण्ड–2 (रू0 9300–34800) एवं रू0 4200/–	पदधारकों में से शत–प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।
3	सहायक लेखाधिकारी/ वेतन बैण्ड–2 (रू0 9300–34800) एवं रू0 4800/–	विभिन्न विभागों के लेखाकार एवं वरिष्ठ लेखा परीक्षकों में से उनके पदों की संख्या के अनुपात में निर्धारित कोटे के आधार पर शत–प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

सहायक लेखाकार तथा लेखाकार के पदों की कुल संख्या 01 एवं 03 के अनुपात में विभाजित करते हुए उक्त पदों की संख्या चिन्हित की जाय।

(10) सम्बन्धित विभागों में उपलब्ध अधीनस्थ लेखा संवर्ग के सहायक लेखाकार, लेखाकार तथा सहायक लेखाधिकारी के पदों पर चयन, नियुक्ति तथा स्थानान्तरण की कार्यवाही वित्त विभाग के अधीन आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा सम्पादित की जाय और सम्बन्धित विभाग की आवश्यकतानुसार चयनित अभ्यर्थियों का आवंटन किया जाय।

(11) अधीनस्थ लेखा संवर्ग के अन्तर्गत मृत संवर्ग घोषित कनिष्ठ लेखा लिपिक के पदों पर वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों को वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900/– के स्थान पर तत्काल प्रभाव से संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/– अनुमन्य कराया जाय।

(12) जिन राजकीय विभागों में लिपिकीय संवर्ग से पृथक लेखा संवर्ग का विधिवत गठन किये जाने के निर्णय का कार्यान्वयन अभी तक नहीं हुआ है, उन विभागों में पृथक लेखा संवर्ग के गठन के फलस्वरूप लेखा संवर्ग के प्रथम स्तर के उपलब्ध पदों (सहायक लेखाकार) पर सर्वप्रथम विभाग के सामान्य लिपिकीय संवर्ग में कार्यरत, लेखा से सम्बन्धित कार्य का 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले, पदधारकों में से वरिष्ठता के आधार पर समायोजन किया जाय। अपेक्षित संख्या में पदधारक उपलब्ध न होने की स्थिति में विभाग के सामान्य लिपिकीय संवर्ग में कार्यरत न्यूनतम् 05 वर्ष की सेवा वाले ऐसे पदधारकों का समायोजन किया जाय जो स्नातक (कामर्स) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेंसी की अर्हता रखते हों।

(13) विभिन्न विभागों में मृत संवर्ग घोषित कनिष्ठ लेखा लिपिक के पदों पर कार्यरत ऐसे पदधारक जिन्होंने कनिष्ठ लेखा लिपिक के रुप में सात वर्ष की अनवरत सेवा सन्तोषजनक रुप से पूर्ण कर ली हो, उन्हें सहायक लेखाकार पदनामित करते हुए वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0

2800/– अनुमन्य करा दिया जाय।

(14) कोषागार निदेशालय के लेखा संवर्ग के पदों से सम्बन्धित विस्तृत संस्तुतियाँ कोषागार निदेशालय की संस्तुतियों के साथ दी जायेंगी।

(15) विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, स्थानीय निकायों, जल संस्थानों तथा विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत विद्यमान अधीनस्थ लेखा संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में समिति द्वारा अपनी संस्तुतियां उक्त संस्थाओं हेतु दी जाने वाली पदवार/संवर्गवार संस्तुतियों के साथ दी जायेंगी।

2– कृपया उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव

संख्या–वे0आ0–2–[illegible]/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1।
2– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।